

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रकाशन की तिथि 26/11/2008	विज्ञापन क्रमांक 12/2008/चयन/दिनांक 22/11/2008	भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 26/12/2008
-------------------------------	---	--

(5) सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चतम आयु सीमा में दी गई छूट:-

5.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

5.2 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-26-93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

5.3 छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी । इस कंडिका में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अन्य कोई छूट प्राप्त नहीं होगी ।

5.4 ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:- “छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

5.5 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

5.6 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार । महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

5.7 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-1-2-/2002/1/3 दिनांक 2.6.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को

शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनु. जन. जाति., अ.पि.व., विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

5.8 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5.9 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी ।

5.10 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

5.11 आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक -सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

5.12 राज्य में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- आयु की गणना दिनांक - 01.01.2009 के संदर्भ में की जाएगी।

6. आवेदन - पत्र भरने के संबंध में "निर्देश - जानकारी"

आवेदन - पत्र तीन प्रपत्रों में सन्निहित है -

6.1 प्रपत्र एक - आवेदन पत्र

6.2 प्रपत्र दो - आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, यथा- अंक-सूची, उपाधि, पत्रोपाधि, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा यदि आयु सीमा में छूट चाही गई है तो छूट संबंधी प्रावधान के तहत अन्य सुसंगत प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र-दो में करें।

6.3 प्रपत्र-तीन - खाद्य निरीक्षक एवं औषधि विश्लेषक के पद हेतु आवश्यक अनुभव/प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

6.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

6.5 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

6.6 आवेदन-पत्र का प्रपत्र एक, दो सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जाति

प्रमाण-पत्र संलग्न करना है। शासन /आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रपत्र में दिया गया जाति प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

7. आवेदन शुल्क:-

7.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिये जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर रुपये 200/- (रुपये दो सौ) एवं शेष सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

7.2 आवेदक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा से परीक्षा शुल्क का डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्र. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर में देय हो, बनवाकर भेजेगा। डी.डी. के पीछे आवेदक अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। रायपुर शहर के आवेदकों से बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा।

8. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना:-

8.1 आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा, महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर, द्वारा प्रकाशित “रोजगार और नियोजन ” में इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एक एवं प्रपत्र दो में मूलरूप में प्रयोग कर सुस्पष्ट रूप में भरा जाना चाहिए। कम्प्यूटर एवं टाइप राइटर द्वारा टंकित एवं हस्त लिखित आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

8.2 जो आवेदन-पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.3 आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी आयोग के वेब-साईट (www.cgpsc.in) से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप डाउन लोड कर ए-4 साईज पेपर में ही प्राप्त करें।

8.4 आवेदन-पत्र भेजने का पता:-

सचिव,

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

शंकर नगर रोड, रायपुर (छ0ग0)

पिन कोड 492001.

टीप:- प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा । अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क नहीं लौटाये जायेंगे ।

9.1 आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने अथवा मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

9.2 आयोग द्वारा यदि लिखित परीक्षा का निर्णय लिया जाता है तो प्राथमिक (अनंतिम) जांच के आधार पर योग्य पाये गये उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया जाएगा। यदि आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के बजाय प्राप्त आवेदनों की शार्टलिस्टिंग करते हुए केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए सूचना भेजी जाएगी। लिखित परीक्षा अथवा आवेदनों की शार्टलिस्टिंग के आधार पर आयोग द्वारा शेष अनर्ह उम्मीदवारों को सूचना देना आयोग के लिए आवश्यक नहीं होगा।

10. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिए। इनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा।

10.1 आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

10.2 आवश्यक/शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र, यथा-उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण पत्र आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन कर रहा हो, उक्त पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, अनुभव आदि का प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया हो। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद की उपाधि/अनुभव/प्रशिक्षण/पंजीयन प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ता द्वारा जारी किया गया हो जिसमें अनुभव अवधि तथा जारी दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

10.3 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा आवेदित पद हेतु सभी अर्हताकारी परीक्षाओं की, जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, उसके अंतिम वर्ष की अंक सूची।

10.4(1) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा।

10.4(2) यदि आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र (जो वैध हो) संलग्न करता है, तो उक्त आधार पर आवेदक को लिखित परीक्षा (यदि उक्त परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है) में बैठने की प्रावधिक अनुमति दी जाएगी परंतु ऐसे आवेदक को साक्षात्कार में बुलाने पर उसे साक्षात्कार के समय छत्तीसगढ़ राज्य के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदक को अनर्ह करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

10.4(3) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों को राज्य विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश शासन से जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का पुनर्विधीकरण कराना अनिवार्य है अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र पुनः बनवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10.5 तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र सलंगन करना आवश्यक है।

10.6 उपरोक्त कंडिका - 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

10.7 कंडिका - 5.9 के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र ।

10.8 कंडिका - 5.10 के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड ।

10.9 कंडिका - 5.11 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र ।

10.10 कंडिका-5.12 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

10.11 आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट

11. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलो, राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिये निवेदन भी कर देना चाहिए। आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) साक्षात्कार के समय आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

12. चयन प्रक्रिया:-

12.1 निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव न्यूनतम है और इन योग्यताओं/अनुभव के होने से ही

उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाना सुविधाजनक नहीं होगा तो आयोग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं या अनुभव/उच्च योग्यताओं या अनुभव अथवा दोनों के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा का आयोजन कर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। आवश्यक होने पर आयोग द्वारा पद विशेष के लिए निर्धारित आर्हता/उच्चतर आर्हता हेतु अंक निर्धारित किये जा सकेंगे और ऐसी स्थिति में चयन अधिभार के अंक एवं साक्षात्कार के अंक के आधार पर होगा। यदि आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए शार्ट लिस्टिंग करने का निर्णय लिया जाता है तो लिखित परीक्षा लेने पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा लेने के निर्णय की स्थिति में पाठ्यक्रम की सूचना आवश्यकतानुसार बाद में आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जा सकेगी।

12.2 आयोग के परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः उम्मीदवार से इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.3 उम्मीदवार आयोग को लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न-पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात 15 दिन के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत कर सकता है।

13. ऐसे उम्मीदवार को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा । आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो ।

13.1 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

13.2 पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

13.3 किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

13.4 फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया हो, या

13.5 चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

13.6 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

13.7 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

13.8 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

13.9 उनके प्रवेश-पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिन्हें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

13.10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो ।

13.11 छ.ग.लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

14. उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

14.1 आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

14.2 उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

14.2 (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये वाले चयन से ।

14.2 (2) राज्य शासन द्वारा या/ उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

14.3 यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाई के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि-

14.3 (1) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

14.3 (2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।

15. पहचान चिन्ह -

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखे । उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके । उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामाग्री संलग्न करना भी वर्जित है । परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाइन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा लिखने के लिए केवल नीली अथवा काली स्याही का प्रयोग करेगा ।

उत्तर-पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा । पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी ।

16. यात्रा व्यय का भुगतान:-

16.1 छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदक हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

16.2 साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को साधारण दर्जे का

वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 16.1 में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

17. आवेदन पत्र का फार्म एवं अन्य बातें -

17.1 एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिये जाएंगे। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन -पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

17.2 संख्या लिखने में अन्तराष्ट्रीय क्रमांक, यथा- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 का ही प्रयोग करें।

18. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देश:-

18.1 आवेदक अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाए । फोटो पर आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक है ।

18.2 स्वयं के पता लिखे 5/- रु. का टिकिट लगा दो लिफाफे (12c.m. X 25c.m.) अवश्य भेजे । आवेदन-पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक 6/- रुपये का डाक टिकिट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें । जिस पर उन्हे आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जाएगी ।

18.3 आवेदन-पत्र के लिफाफे पर “विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम” बड़े अक्षरों में लिखे तथा उसे रेखांकित करें । लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाई संभव नहीं होगी ।

19.1 भरे हुए आवेदन-पत्र **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर,** कार्यालय में **अंतिम तिथि 26.12.2008** के शाम 5.30 बजे तक जमा कर पावती प्राप्त करें। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो दिनांक 01.11.2008 के शाम 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदन ही विचार में लिए जाएंगे। डाक के विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

19.2 लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की सूचना डाक से आयोग द्वारा पर्याप्त समय पूर्व उम्मीदवार को भेजी जाती है। समय पर डाक प्राप्त न होने एवं विलंब से डाक प्राप्त होने के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

20. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी-

20.1 प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वे विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें।

20.2 यदि आवेदक के द्वारा आयोग को भ्रमित करने के उद्देश्य से कोई अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो उसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, आयोग कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

20.3 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

20.4 आयोग द्वारा आवेदक के उम्मीदवारी को समाप्त करने का निर्णय लेने पर किसी प्रकार की लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

21.1 मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा, एवं आवेदक का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

21.2 आयोग द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जानकारी आवेदकों के हितार्थ समय-समय पर आयोग की वेब-साईट www.cgpsc.in में दी जाती है। अतः आवेदकों को चाहिए कि आयोग की वेब-साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

हस्ता/-

सचिव

नोट:- छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है ।



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रपत्र - एक

औषधि निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक एवं औषधि विश्लेषक (द्वितीय)
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के पद हेतु

"आवेदन पत्र"

विज्ञापन क्रमांक 12/2008/चयन/दिनांक 22/11/2008

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक

पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक (आयोग द्वारा भरा जाएगा)

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- केवल काली स्याही वाले बॉल पेन से भरें।
- आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- आवेदन पत्र में समस्त जानकारी सही भरें गलत, जानकारी भरने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ के अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित माने जाएंगे (मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के आवेदक अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन करें।)
- आवेदन शुल्क - बैंक ड्रॉपट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा क्र. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर पर ही देय (Payable) होना चाहिए।
- आवेदक बॉक्स में उपयुक्त जानकारी ही भरें।

- (1) विभाग
- पद
- (2) बैंक ड्रॉपट क्र.
- दिनांक
- राशि
- जारी करने वाले बैंक का नाम

(3) आवेदक का नाम:- अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखें (सरनेम पहले लिखें) दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें।

(4) पिता/पति का नाम :-

(5) जन्म तिथि (6) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी (7)अ. श्रेणी - कोड नं. (7)ब. श्रेणी - कोड नं.

दिनांक माह वर्ष हां - Y अनारक्षित - 1 (केवल छत्तीसगढ़ के अ.जा. - 2

नहीं - N मूल निवासियों एवं अ.ज.जा. - 3

आरक्षित वर्गों के लिए) अ.पि.व. - 4

(गैर क्रीमीलेयर)

(8) लिंग (9) विकलांग (10) आवश्यक अनुभव प्राप्त है :-

पुरुष - M हां - Y (i) हां - Y (ii) अनुभव वर्ष

महिला - F नहीं - N नहीं - N

(11) आयु में छूट :-आवेदक आयु में छूट चाहता हो तो विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट का सही क्रमांक लिखें:- हां - Y
नहीं - N

छूट का क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

आयु 01.01.2009 की स्थिति में

वर्ष माह दिन

(12) स्थायी पता:-

(13) वर्तमान पता जिस पर प्रवेश पत्र भेजा जाएगा:-

पिन:-

पिन:-

क्रमशः

(14) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :- क्रमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी/ग्रेड	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र क्रमांक
1	हाईस्कूल								
2	हायर सेकेंडरी								
3	स्नातक								
4	स्नातकोत्तर								
5	अनुभव प्रमाण पत्र								

(15) यदि आवेदक सेवारत हो या सेवारत रहे हो तो पूरा विवरण दें (प्रमाण-पत्र संलग्न करें):-

पद का नाम	कार्यालय/संस्था का नाम	सेवा अवधि			यदि वर्तमान में सेवारत है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	प्रमाण पत्र क्रं.
		कब से	कब तक	प्रमाण पत्र क्रं.		
					हां - Y नहीं - N <input type="checkbox"/>	

(16) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग का है तो, :- प्रमाण पत्र क्रमांक

(17) क्या आवेदक कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया हटाया गया किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें। क्या आवेदक को विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित है?

(18) यदि आवेदक संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दे :-

घोषणा

स्वयं के हस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो चिपकायें
4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने परीक्षा नियमों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं उक्त परीक्षा के लिये निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। यदि कोई जानकारी परीक्षा से पहले या बाद में गलत पायी जाए या अपात्रता का पता चले तो आयोग मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

हिन्दी

अंग्रेजी

(अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र रद्द किया जायेगा)

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय

अनुभव प्रमाण पत्र

क्रमांक/200

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी पिता/पति

..... निवास-नगर तहसील जिला में

.....के पद पर दिनांक से दिनांक तक (कुल अवधि वर्ष

.....माह) का प्रशिक्षण/अनुभव रखते हैं।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रमुख)

सील/मुहर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अंकसूची उपाधि/प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों का विवरण :-
आवेदित पद का नाम आयोग का विज्ञापन क्रमांक

प्रमाण पत्र क्र.	विवरण *	पृष्ठ संख्या
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		

.....
आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का पूरा नाम व पता

.....

.....

.....